भारत सरकार के निर्देश के क्रम में " ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों के मांनिटरिंग हेतु श्री सुधीर कुमार गुप्ता, उप सचिव, गृह मंत्रालय ,भारत सरकार वं श्री सुरेन्द्र कुमार, अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में जनपद सिद्धार्थनगर,उ0प्र0 के ग्राम चोरईताल, विकास खण्ड–खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर का दिनांक 22.4.2018 को किये गये निरीक्षण से सम्बन्धित कार्यवृत्त–

आज दिनांक 22.4.2018 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत सरकार के निर्देश के क्रम में **"ग्राम स्वराज अभियान"** के अन्तर्गत कार्यक्रमों के मांनिटरिंग हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में जनपद सिद्धार्थनगर, उ0प्र0 के ग्राम चोरईताल, विकास खण्ड–खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर का निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया गया।

निरीक्षण के समय परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सिद्धार्थनगर श्री सन्त कुमार व लीड बैंक आफिसर श्री ओम प्रकाश अग्रहरि, श्री नरेन्द्र मणि त्रिपाठी, जिलापूर्ति अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, खेसरहा, सहायक अभियन्ता, विद्युत, बांसी, सिद्धार्थनगर उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों का परिचय खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से कराया गया और उपस्थित ग्रामवासियों को अब तक की प्रगति से अवगत कराया गया और पूछताछ के माध्यम से अब तक हुए कार्यो का सत्यापन भी किया गया। उपस्थित अधिकारियों को अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के बारे में उपस्थित ग्रामवासियों को अवगत कराने के निर्देश दिए गए, जिसमें कार्यक्रमवार निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा अपने विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। कार्यक्रमवार विवरण निम्नवत् है:–

1.सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना)– विवरण पत्र से स्पष्ट हुआ कि यहा कनेक्शन बहुत कम है तथा प्रगति खराब है। सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि उनके स्तर से काफी विद्युत कनेक्शन फार्म प्राप्त कर लिए है और वह शीघ्र सभी व्यक्तियों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जोड़ देगें।

2.उजाला योजना– इस कार्यक्रम के बारे में सहायक अभियन्ता, विद्युत द्वारा विस्तृत रूप से उपस्थित जन समुदाय को बताया गया कि एलईडी वल्ब 7 वाट व पंखे क्रमशः 60.00 रू0 व 1200.00 रू0 में एक बोर्ड व 03 साकेट एवं 10 मीटर तार के साथ दिये जायेगें,जो कम वोल्टेज से चलेगें और बिजली की खपत कम होगी, जिससे अन्य लोगों को भी बिजली का लाभ दिया जा सकेगा। उन्हें आवश्यकतानुसार कैम्प लगाकर विद्युत कनेक्शन देने एवं लोगों को जागरूक कर एलईडी बल्ब वितरण कराने के निर्देश दिये गये।

3.प्रधानमंत्री उज्जवला योजना– जिलापूर्ति अधिकारी, सिद्धार्थनगर श्री नरेन्द्र मणि तिवारी द्वारा विस्तृत रूप से उपस्थित लोगों को इस योजना के बारे में बताया गया। उपस्थित ग्राम के महिलाओं द्वारा बताया गया कि अधिकांश महिलाओं को गैस कनेक्शन मिल चुके है और उनका प्रयोग भी वह सावधानी से कर रही है। उपस्थित जन समूह के समक्ष जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये गये कि जो लोग छूट गये है,उनका सर्वे तत्काल कराकर तथा शिविर लगाकर गैस कनेक्शन दिये जाये। जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 22.4.2018 को ग्राम इसी ग्राम के प्राथमिक विद्यालय में चतुर्वेदी इण्डेन गैस एजेन्सी के प्रोपराइटर द्धारा आल कैम्प का आयोजन किया गया है। गांव के समस्त अनुसूचित जाति एवं अनु0जन जाति तथा अन्त्योदय कार्ड–धारक व प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित लाभार्थी पात्रता की श्रेणी में आते है, उन्हें ही निःशुल्क गैस कनेक्शन दिये जायें। सभी लाभार्थी घर की मुखिया महिला रहेगी। कनेक्शन लेने के लिए 2 फोटो, परिवार के सदस्यो के 2 आधार कार्ड व आई0डी0 की प्रति साथ लाना होगा। मौके पर आज 02 महिला लाभार्थी कमशः श्रीमती बबुनी व श्रीमती इशरावती को गैस कनेक्शन का वितरण गांव में मौके पर ही कराया गया।

4.प्रधानमंत्री जन धन योजना– इस ग्राम में जन धन योजना के अन्तर्गत खाते कम खुले है। इस योजना के बारे में लीड बैंक आफिसर श्री ओम प्रकाश अग्रहरि द्वारा विस्तृत रूप से उपस्थित जन समूह को बताया गया कि इस गांव के लिए भारतीय स्टेट बैंक, शाखा साकारपार व ग्राहक सेवा केन्द्र, साकारपार द्वारा प्रतिदिन कार्य दिवस में शून्य बैलेन्स पर जन धन योजना के अन्तर्गत लोगों के नये खाते खोले जा रहे है, जिसमें दो फोटो व आधार कार्ड व आई.डी. लाना होगा। इसके साथ ही खाते के नियमित प्रयोग के बारे में लोगों को जागरूक किया गया, जिसके तहत बताया गया कि नियमित लेन देन करने से इस खाते में सब्सिडी की धनराशि आ पायेगी। कोई असुविधा होने पर उसकी सूचना लीड बैंक आफिसर को दिया जा सकता है।

5.प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना– लीड बैंक आफिसर द्वारा इस योजना के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया कि इस योजना में 330/– रू0 वार्षिक प्रीमियम देने पर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने की स्थिति में 2.00 लाख रू0 रिस्क कवर करता है। इसमें अधिक से अधिक परिवार को निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक, साकारपार में बीमा प्रत्येक कार्य दिवस में कराया जा सकता है।

6. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना– इस योजना के बारे में लीड बैंक आफिसर द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया कि बहुत कम प्रीमियम रू0 1/– प्रति माह वर्ष में 12/– रू0 देने पर रू0 2.00 लाख का दुर्घटना बीमा परिवार के मुखिया के लिए रिस्क कवर करेगा और अपंगता की स्थिति में रू0 एक लाख मुखिया परिवार को मिलेगा। इस कल्याणकारी योजना में लोगों को अधिक से अधिक संख्या में निवेश कर लाभ उठाने के बारे में बताया गया।

7.मिशन इन्द्रधनुष– प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि गर्भावती महिलाओं मु0 5000 रू0 उनके खाते के माध्यम से दिये जाने का प्राविधान जिसमें 1000 रू0 प्रथम टीक के बाद और 2000 रू0 तीसरे टीके के बाद तथा 2000 रू0 प्रसव के बाद चेक के माध्यम से दिया जाता है

इसके साथ ही प्रसव के बाद भोजन तथा 1400 रू0 का चेक महिला को कार्ड बनवाने के उपरान्त दिया जाता है। आशा बहू व एएनएम उपस्थित रही। उनके द्वारा इस योजना के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया कि गांव के प्रत्येक घरो का सर्वे करा लिया गया है। सभी पात्र 0–1 आयु वर्ग के 30 एवं 0–2 आयु वर्ग के 35 बच्चे कुल 65 बच्चों एवं 06 गर्भावती महिलांओं को दिनांक 23–04–2018 को शिविर लगाकर टीका का कार्य समयान्तर्गत करावें। इससे बच्चे पोलियो मुक्त, टी.बी. मुक्त एवं अन्य बीमारियों से मुक्त होगें। आशा बहू व एएनएम को निर्देश दिये गये कि इस कार्यक्रम में कोई कमी न रहने पाये और टीके समय पर सभी पात्र लोगों को अवश्य लगे।

बैठक में गांव के सभी लोग उपस्थित नहीं हो पाये थे। उपस्थित खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये कि वह गांव में डुग्गी मुनादी करके लोगों को सूचित कराये और सभी कार्यक्रमों के सफल बनाने हेतु लोगों को जानकारी देकर जागरूक करें और सभी कार्य 10 दिन के अन्दर पूर्ण करा लें।

उपरोक्त केन्द्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही निम्नलिखित योजना के प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा भी की गयी। बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् पायी गयीः–

1.स्टार्ट अप इण्डिया 2. स्टैण्ड अप इण्डिया – इस योजना के बारे में लीड बैंक आफिसर द्वारा विस्तृत रूप से उपस्थित लोगों को बताया गया कि जो बेरोजगार युवक कोई रोजगार करना चाहते है,उन्हें बैंक बिना किसी गारण्टर के 10.00 लाख रू0 देगी। यदि किसी युवक का रोजगार चल रहा था,परन्तु पैसे के अभाव में रूक गया है,उन्हें भी इस योजना के अन्तर्गत रोजगार को पुनः चलाने के लिए धनराशि वगैर किसी गारण्टर के दिया जायेगा।उपस्थित महिला से कहा कि वे स्वंय सहायत समूह बनाकर उद्योग लगाने हेतु ऋण निकट के शाखा बैक से प्राप्त कर सकते है। इराके लिए उपस्थित शाखा प्रबन्धक को इस योजना के क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये।

2. पेंशन योजना– सभी प्रकार के पेंशन पति के मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन,वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यागजन सशक्तीकरण आदि पेंशन के बारे में विस्तृत रूप से परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा बताया गया कि अब उन्हें पेंशन फार्म भरने के लिए आफिस–आफिस दौडने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने निकटवती बाजार में जाकर कम्प्युटर की दुकान से अपने साथ फोटो व पासबुक की प्रति तथा आधार कार्ड व आई. डी. की प्रति लेकर फार्म को भरवा साकती है, वह फार्म स्वतः सम्बन्धित अधिकारियों के पास चला जायेगा और जल्दी ही पात्र पाये जाने पर उनका पेंशन स्वीकृत हो जायेगा।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना– इस बारे में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा विस्तृत रूप से उपस्थित लोगों को बताया गया कि वर्ष 2022 तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को

आवारा गिल जायेगा।वह अपने पास आवास न होने की सूचना खण्ड विकास अधिकारी को अवश्य दे दें।

5. पेय जल योजना– परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा बताया गया कि अब रीबोर का कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से होगा और सभी खराब व रीबोर योग्य नलों ,को खण्ड विकारा अधिकारी अपने ग्राग प्रधानों के माध्यम से तत्काल ठीक करायेगें। टड़वरिया टोला के व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उनके पुरवें में मात्र एक इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प स्थापित था जिराके खराब होने पर देशी नल का मथा लगाकर काम चलाया जा रहा था परन्तु वर्तमान में वह भी पानी नहीं दे रहा है। खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये कि वह इसे तत्काल देखे और पेयजल रामस्या का नियमानुसार निदान करावें।

6. राशन कार्ड– राशन कार्ड की बात उठते ही तमाम महिलाओं द्वारा कार्ड न होने की बात कहते हुए नये कार्ड की मांग की गयी। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय में 40 व्यक्तियों का पात्र गृहस्थी के अन्तर्गत सूची गयी है, जिसे यथाशीघ्र फिड कराकर नयी सूवी तैयार करा ली जायेगी। लोगों के शिकायत पर जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देष दिये गये कि वर्तमान समय प्रचलित राशन कार्ड के सूची की जांच करा ले और जो अपात्र है उन्हे निकालकर नये पात्र व्यक्तियों को शामिल करते हुए सही सूची यथाशीघ्र तैयार कराका राशन कार्ड को वितरित करा दे। खण्ड विकास अधिकारी, उसका बाजार इस गांव की जांच अपनी देख रेख स्वयं कराकर जिला विकास अधिकारी को प्रगति से अवगत करावें।

7. अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु शादी अनुदान योजना–समाज कल्याण अधिकारी के उपस्थित न रहने पर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा इस योजना के बारे में विस्तृत रूप से लोगों को बताया गया। इसमें प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है,जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी है और शहरी क्षेत्र के नोडल अधिकारी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी है। इसमें पात्र लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना पडता है,जिसकी आवश्यक जांच के बाद उन्हें सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। इसमें बर–वधू को अपनी गृहस्थी चलाने हेतु सामान व नकद धनराशि भी सरकार द्वारा दिये जाने का प्राविधान है। व्यक्तिगत रूप से शादी करने पर प्रत्येक परिवार को 20000.00 रू0 की आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में सरकार द्वारा दिया जाता है।

8. अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु निःशुल्क बोरिगं योजना– सहायक अभियन्ता,लघु सिंचाई निरीक्षण के समय उपस्थित नहीं थे। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लघु किसानों के खेतो की सिंचाई हेतु निःशुल्क बोरिगं करायी जाती है,जिसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पडता है। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि इस ग्राम में निः शूल्क बोरिंग नहीं करायी गयी है। इस सम्बन्ध में राहायक अभियन्ता, लघु सिचाई को निर्देशित किया गया कि उक्त ग्राम में करायी गयी निःशुल्क

बोरिंग की सूची जिला विकास अधिकारी को उपलब्ध करा दे ताकि उनके द्वारा सत्यापन कराया जा सकें। यहा पर नियमानुसार और अधिक बोरिंग कराये जाने के निर्देश दिये गये।

9.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना– इस योजना के बारे में श्री चन्द्र प्रकाश सिंह,जिला कृषि अधिकारी द्वारा विस्तृत रूप से उपस्थित जन समूह को बताया गया। उनके द्वारा लोगों को बताया गया कि सभी किसान जो के.सी.सी.धारक इस योजना से स्वतः आच्छादित हो जाते है। अन्य कृषक जो ऋण लेना नहीं चाहते है,उन्हें गैर ऋणी बीमा योजना के नाम से जाना जाता है, उन्हें खरीब की लागत प्रति हेक्टेयर 4700.00 रू0 का 2 प्रतिशत व रबी फसल की लागत का 57000.00 का 1.5 प्रतिशत प्रामियम देना पडेगा है। इस गांव में 25 किसानों द्वारा के0सी0सी0 ऋण बनवाने हेतु सूचित किया गया। लीड बैंक आफिसर इस दिशा में तत्काल अपेक्षित कार्यवाही करें।

इस जनपद में बजाज कम्पनी को फसल बीमा कराती है। यदि बाढ,सूखा से फसल नष्ट हो जाती है तो उसका लाभ किसानों को मिलेगा। प्राकृतिक तरीके से आग लग जाने व आंधी में फसल के उड जाने पर भी बीमित राशि किसानों को उनके बैंक खाते के माध्यम से मिलेगी।

निर्देश दिये गये कि कृषि विभाग व बैंक के अधिकारी गांव में आकर गांव के लोगों का फसार्म भरवा कर बीमा करायेगें।

जिला कृषि अधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके स्तर से रोटावेटर, कृषि यन्त्र पर भी अनुदान दिया जाता है, जिसका लोग लाभ उठावे।

जिला कृषि अधिकारी द्वारा बताया गया कि मा0प्रधान मंत्री जी के निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप किसानों के आय को दोगुना करने की दृष्टि से किसानों को निःशुल्क उपजाऊ बीज देते है। डीबीटी के माध्यम से जनपद के 3000 किसानों को लाभ दिये जाने हेतु चयन किया गया है,जिन्हें सब्सिडी बैंक खाते के माध्यम से दी जायेगी।

उपस्थित लोगो से मृदा परिक्षण के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्य रूप से यह कहा गया कि मृदा परिक्षण से यह स्पष्ट को जाता है कि आपके खेत मे कौन से तत्व की कमी है

जिसके लिए कौन से उर्वरक डालने होते है। मृदा परीक्षण कराने से किसानो के आय में निश्चित रूप से बढोत्तरी होगी।

जिला कृषि अधिकारी द्वारा लोगों से आग्रह किया गया कि वर्तमान समय में अपने खेत के गेहूं के अवशेष को न जलाये,इससे मृदा के नष्ट होने की संभावना रहती है,जिससे आगामी वर्षो में पैदावार कम हो जायेगी। उनके द्वारा डण्ठल जलाने वालों के विरूद्ध सरकारी द्वारा अर्थदण्ड व सजा के प्राविधानों को भी बताया गया।

बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत में लागू होने वाली योजना का लाभ बिना किसी भेद—भाव के सभी पात्र व्यक्ति को उपलब्ध करावे । उन्हे निष्पक्ष तरीके से अभी और परिश्रम करने के निर्देश दिये गयें।

मेरे द्वारा भारत सरकार की सात योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए यह कहा गया कि भारत सरकार से उ0प्र0सरकार में इन चली योजनाओं पर उ0प्र0सरकार द्वारा वास्तविक रूप में कितनी कार्यवाही गांव में हुयी है इसकी समीक्षा करने के लिए मै आया हूँ। भारत सरकार के 07 कार्यक्रमों को शामिल करते हुए उ0प्र0सरकार द्धारा कुल 16 कार्यक्रम चलाये गयें है। यह सभी कार्यक्रम गांव के लोगो तक बगैर किसी भेद—भाव के पहुचाये जायेगे।

मेरे द्धारा उपस्थित लोगो से बताया गया कि किसी भी योजना के बारे में किसी दलाल या बिचौलियो के चक्कर में न पड़ कर सीधे तरीके से अपनी बात को सम्बन्धित अधिकारियों से बताये। यदि कोई शिकायत हो तो वह सम्बन्धित अधिकारी को उनके मुलाकाती समय 9:00 —11:00 बजे के कार्यक्रग में लिखित शिकायत अवश्य करें। वर्तमान समय में शिकायत मा0 मुख्यमंत्री जी एवं शासन के पोर्टल पर भी दर्ज करायी जा सकती है।

निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि गांव में सभी मदो में कार्य हुए है,परन्तु अभी अधिकारियों के पूर्ण मनोयोग व निष्ठा से लग कर लक्ष्य की अवशेष समय में शतप्रतिशत पूर्ति हेतु कार्य—योजना बनाकर उसे पूरा करने की आवश्यकता है। उपस्थिति अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए गए।

सुरेन्द्र कुमार

(सुरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव,रक्षा मंत्रालय,भारत सरकार/
नोडल अधिकारी,सिद्धार्थनगर।

सुधीर कुमार गुप्ता

(सुधीर कुमार गुप्ता),
उप सचिव,गृह मंत्रालय,भारत सरकार/
नोडल अधिकारी,सिद्धार्थनगर।

कार्यालय नोडल अधिकारी(भारत सरकार से सम्बन्धित कार्यक्रम)कैम्प सिद्धार्थनगर

संख्या— 237 /कै0सि0/18—19/ दिनांक 22.04.2018

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— जिलाधिकारी,सिद्धार्थनगर।

2—मुख्य विकास अधिकारी,सिद्धार्थनगर।

3 जिला विकास अधिकारी ,सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित की इस कार्यवृत्त की प्रति को कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी अधिकारियों को समय से कार्य की पूर्ति हेतु उपलब्ध करा देवे।

सुधीर कुमार गुप्ता

(सुधीर कुमार गुप्ता),
उप सचिव,गृह मंत्रालय,भारत सरकार/
नोडल अधिकारी,सिद्धार्थनगर।